

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937

No. 222]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2015

का.आ. 2570(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके।श्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग्करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पुडुचेरी तटीयजोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निर्म्नाखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(i) सचिव,

अध्यक्ष

विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग,-पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी।

(ii) निदेशक मत्स्य और मछुआरा कल्याण विभाग,

सदस्य

पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी।

सदस्य

(iii) मुख्य नगर योजनाकार, नगर और देश योजना विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी। (vi)

(iv) प्रोफेसर डा. आर. रमेश, निदेशक, राष्ट्रीय भरणीय तट प्रबंधन केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई – 25

सदस्य

सदस्य

- (v) डा. एम.वी. रमन्ना मूर्ति,
 वैज्ञानिक 'जी' और प्रधान अपतट अवसंरचना प्रभाग,
 राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
 - तिरु जर्गन पुट्ज, निदेशक, पलमीरा सदस्य पारिस्थितिकीय भू-उपयोग, जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास केंद्र अरुविल्ले, तमिलनाडु
- (vii) सदस्य-संचिव,पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति,पुडुचेरी

सदस्य-सचिव

- 2. प्राधिकरण को पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात्:-
 - (i) पुडुचेरी राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्रस्तावों की समीक्षा और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार उसकी दृष्टि से तटीय विनियमन जोन से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;
 - (ii) (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के अधिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट मामलों में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उन मामलों में जारी किन्हीं निदेशों से असंगत न हों;
 - (ख) उक्त अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए उन्हें भेजना:

परंतु प्राधिकरण स्व:प्रेरणा से या किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर खंड (क) और खंड (कख) के अधीन मामलों को ले सकेगा;

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित करने के लिए कार्रवाई करना।
- 3. प्रिधकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करेगा जो, यथास्थिति, पुडुचेरी राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।
- 4. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा।
- 5. प्राधिकरण संरक्षण परियोजनाओं या तटीय जनसंख्या संरक्षण के सशक्तिकरण और उससे संबंधित मुद्दों से संबंधित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का समन्वय करेगा।
- 6. प्राधिकरण क्षरण या निम्नीकरण से संबंधित बहुत ही अधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा और उनके क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण के लिए प्रबंध करेगा।
- 7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- 8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 6 और 7 के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी परीक्षा और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- 9. प्रधिकरण, सभी विनिर्दिष्ट शर्तों को अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो पुडुचेरी की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित हैं।
- 10. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छह मास की अविध में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 11. प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई होगी।
- 12. प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों का तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रस्तुत करेगा।
- 13. प्राधिकरण तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और एजेंडा, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, निकासी पत्र, उल्लंघन, उल्लंघन के लिए की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश भी हैं और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं को उसमें पोस्ट करेगा।
- 14. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण की शर्त के अधीन होंगी।
- 15. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय पुडुचेरी में स्थित होगा ।
- 16. प्राधिकरण की परिधि और अधिकार क्षेत्र में विनिर्दिष्ट रूप से न आने वाले विषयों को संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. जे-17011/13/1999-आईए-III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

-Member:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 10th September, 2015

S.O. 2570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

(i) Secretary, - Chairman;
Department of Science, Technology and Environment,
Government of Puducherry, Puducherry

(ii) Director, Department of Fisheries and Fishermen Welfare, -Member;
Government of Puducherry, Puducherry

(iii) Chief Town Planner, -Member;
Town and Country Planning Department, Government of Puducherry,
Puducherry

(iv) Prof. Dr. R. Ramesh, Director,

National Centre for Sustainable Coastal Management,

Anna University, Chennai-25

(v) Dr. M.V. Ramana Murthy,
Scientist 'G' and Head, Offshore Structure Division,
National Institute of Ocean Technology, Chennai

(vi) Thiru Jurgen Putz, -Member;
 Director, Palmyra,
 Centre for Ecological Landuse, Water Management and Rural Development, Auroville, Tamil Nadu

(vii) Member Secretary, Puducherry Pollution Control Committee, -Member Puducherry Secretary.

- 2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of Union territory of Puducherry, namely:-
 - (i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Government of Puducherry and making specific recommendations from Coastal Regulation point of view in accordrance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);
 - (ii) (a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
 - (b) review of cases involving violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and (b) suo motu or on the basis of complaint made by an individual or representative body or an organisation;

- (iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);
- (iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).
- 3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Government of Puducherry, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.
- 4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- 5. Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, and other matters relating thereto.
- 6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange funding for the implementation of the same.
- 7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- 8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- 9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Puducherry and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011.
- 10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- 11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of members of the Authority.
- 12. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the Union Territory of Puducherry as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- 13. The Authority shall create a dedicated website to maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court cases including the Orders of the Courts as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union territory of Puducherry.
- 14. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- 15. The Authority shall have its headquarters at Puducherry.
- 16. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/13/1999-IA-III] BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.